भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1351

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों में गुर्दों का दान

1351. श्रीमती माला राय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पड़ोसी देशों के गरीब लोगों को निजी अस्पतालों द्वारा अपने गुर्दे दान करने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ख) क्या प्रत्यारोपण कानूनों में परिवर्तन के बावजूद ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं; और

(ग) क्या सरकार का निजी अस्पतालों, जहां देश के कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों, दोनों का उल्लंघन हो रहा है, के ऐसे अविवेकपूर्ण व्यवहार को रोकने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) 'स्वास्थ्य' और 'विधि एवं व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, यह मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह निजी अस्पतालों द्वारा पड़ोसी देशों के गरीब लोगों को उनके अंग दान करने के लिए मजबूर करने की घटनाओं का संज्ञान ले और कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करे। जब भी ऐसी शिकायतें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्राप्त होती हैं, तो इन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य को भेज दिया जाता है। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (टीएचओटीए) की धारा 13 में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसे अधिनियम और उसके तहत नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की किसी भी शिकायत की जांच करने और उस पर उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

टीएचओटीए के प्रावधान के अनुसार, विदेशी नागरिक के मामले में, अंग या ऊतक या दोनों को शरीर से हटाने या इसका प्रत्यारोपण करने से पहले प्राधिकरण समिति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। इसके अलावा, मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014 के नियम 20 (क) में विदेशी व्यक्तियों के मामले में प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के लिए प्रावधान किया गया है। जब प्रस्तावित प्रदाता या प्राप्तकर्ता विदेशी हों, तो मूल देश के दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी को टीएचओटीए के प्रपत्र 21 के अनुसार प्रदाता और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को प्रमाणित करना होगा और यदि किसी देश का भारत में कोई दूतावास नहीं है, तो उसी प्रारूप में संबंध प्रमाणपत्र उस देश की सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। प्रपत्र 21 में उपर्युक्त वरिष्ठ दूतावास अधिकारी द्वारा प्रदाता और प्राप्तकर्ता की पहचान और सत्यापन दस्तावेजों की प्रामाणिकता के प्रमाणीकरण का भी प्रावधान है। उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण समिति और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यह आकलन और प्रमाणित करना भी आवश्यक है कि ऐसा दान प्रेम और स्नेह से दिया गया है; प्राप्तकर्ता और प्रदाता के बीच कोई वित्तीय लेनदेन नहीं है; और प्रदाता पर कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं है।

उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के तहत एक राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ), क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (आरओटीटीओ) और राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ) की स्थापना की है, जो विभिन्न हितधारकों, अर्थात् राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, कानूनी प्रतिनिधियों, पुलिस कर्मियों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों/अस्पतालों के स्वास्थ्य व्यवसायियों आदि के लिए अंग दान और प्रत्यारोपण के विभिन्न कानूनी और नैतिक पहलुओं पर नियमित जागरूकता/संवेदीकरण सत्र और गतिविधियां आयोजित करते हैं।

*****